

ऑनलाईन मध्यस्थता

ऑनलाइन मध्यस्थता वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होकर अत्यंत प्रभावी और सुविधाजनक तरीका है, जिसका उपयोग विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है। यह समय, लागत और यात्रा की बचत करता है और उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है, जो पारंपरिक मध्यस्थता केन्द्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिला न्यायालय दुर्ग के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों में ऑनलाइन मध्यस्थता किए जाने हेतु मध्यस्थता केन्द्र प्रभारी के कार्यालय के दूरभाष नंबर 0788-2995013 अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के दूरभाष नंबर 0788-2330618 पर संपर्क किया जा सकता है।

Mediation "For the Nation" Campaign (90 day's Mediation drive to settle pending cases in all the Taluka Courts, District Courts and High Courts of India).

**From :-
01st July 2025
to
07th October 2025**



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

1. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
2. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
4. तालुका विधिक सेवा समिति
5. नालसा टोल फ्री नंबर- 15 100



मध्यस्थता

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
पुराना उच्च न्यायालय भवन,
बिलासपुर (छ.ग.) 495001
E-mail-
cgslsa.cg@nic.in.
cgslsa@gmail.com
Phone-(07752) 220170,
222405



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छ.ग.)

Phone (0788) 2330618

न्याय सदन, गौरव पथ दुर्ग (छ.ग.)

Email: dlsa.durg@gmail.com



मध्यस्थता के संबंध में जानकारी :-

मध्यस्थता क्या है ?

मध्यस्थता विवादों को निपटाने की न्यायिक क्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक क्रिया है, जिसमें एक तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति मध्यस्थ दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए उन्हें तैयार करता है। इस क्रिया में लचीलापन है और कानूनी क्रियागत जटिलताएं नहीं हैं। इस क्रिया में आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं।

मध्यस्थता क्यों ?

न्यायालय में विवादों को सुलझाने की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें एक बार क्रिया शुरू हो जाने के पश्चात पक्षों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और न्यायालय का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। न्यायालय द्वारा एक पक्ष के हित में निर्णय सुनिश्चित है, किन्तु दूसरे पक्ष के विपरीत होना भी उतना ही सुनिश्चित है। दोनों पक्षों के हित में निर्णय, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकें ऐसे निर्णय न्यायालय नहीं दे सकता। न्यायालय द्वारा रायरी, विधिक स्थित तथा न्यायिक क्रिया को ध्यान में रखकर निर्णय दिया जाता है। जब कि मध्यस्थता दो पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में सहयोग दान करता है। वह दानों पक्षों को अपनी बात कहने का समान अवसर देकर, पक्षों में सामंजस्य सारित करता है। मध्यस्थता में विवादों को निपटाने का सारा यास स्वयं पक्षों का नियंत्रण बना रहता है। निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का ही रहता है कहीं भी विवशता एवं दबाव नहीं रहता, पूरी क्रिया पर पक्षों का नियंत्रण बना रहता है। निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का ही रहता है। कहीं भी विवशता एवं दबाव नहीं रहता है, पूरी क्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है।

मध्यस्थता से होने वाले लाभ :-

1. मध्यस्थता एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है, जिसमें पक्षों को समझौता कराने के लिए सहमत किया जाता है तथा पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अवसर प्राप्त होता है।
2. रिश्तों में आई दरार से हुए नुकसान की पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होता है।
3. एक ऐसा उपाय है, जिसमें पक्ष अपना निर्णय ले सकते हैं।
4. हिंसा, घृणा, धमकियों से हटकर एक सभ्य उपाय है, जिससे विवादों का निराकरण निकाला जा सकता है। विवादग्रस्त पक्षों में आपसी बातचीत और मधुर संबंध बनाने का अवसर प्राप्त होता है।
5. यह क्रिया मुकदमों का विचारण नहीं करती और न ही गुणदोष पर निर्णय देती है।
6. यह क्रिया किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की अपेक्षा सस्ती है।
7. इससे सफलता की संभावनाएं अधिक हैं तथा यह किसी भी स्थिति में पक्षों के लिए लाभकारी है।
8. इस क्रिया में पक्षों में एक दूसरे की बातें सुनने, भावनाओं को समझने का सही अर्थों में अवसर प्राप्त होता है।
9. इस क्रिया में पक्षों में किसी कार का भय नहीं होता, पक्ष अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि प्रक्रिया गोपनीयतापूर्ण है। अतः पक्ष अपनी बात को खुले मन से कह पाते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता।
10. इस प्रक्रिया में पक्ष स्वयं अपना निर्णय लेते हैं। अतः उनकी आशाओं के विपरीत किसी भी अप्रत्याशीत निर्णय प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती, जैसे कि न्यायालय की प्रक्रिया में अक्सर होता है।
11. मध्यस्थता से समझौता कुछ घंटों या दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। अनेक महीनों या वर्षों तक यह प्रक्रिया नहीं चलती अर्थात् समय की बचत होती है।
12. जहां न्यायालय के आदेश के अनुपालन कराने में भी अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं, वहां मध्यस्थता से प्राप्त समझौता स्वयं पक्षों का स्वेच्छा से प्राप्त निर्णय होता है, अतः उसके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होती है।
13. न्यायिक प्रक्रिया के वाद समय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि मध्यस्थता विवादों को किसी भी स्तर पर निपटारा किया जा सकता है इसमें विलंब कभी नहीं होता है।
14. इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त समझौते से मन को शान्ति मिलती है।
15. मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में न्याय शुल्क की छूट दान की गई है।

मध्यस्थता से कौन से विवाद का समझौता संभव है:-

1. वैवाहिक विवाद संबंधी प्रकरण
2. दुर्घटना दावा मामले,
3. घरेलू हिंसा मामले,
4. चेक बाउंस मामले,
5. वाणिज्यिक विवाद मामले
6. सर्विस मेटर
7. आपराधिक समझौता योग्य मामले,
8. उपभोक्ता विवाद मामले,
9. ऋण वसूली मामले,
10. विभाजन मामले,
11. बेदखली मामले,
12. भूमि अधिग्रहण मामले,
13. अन्य उपयुक्त सिविल मामले

राजस्व प्रकरण

5. मध्यस्थता का लाभ कैसे प्राप्त करें :-

मध्यस्थता हेतु आवेदन जिस न्यायालय में मामला लंबित हो, वहां प्रस्तुत करें।

6. मध्यस्थता एक विधिक प्रक्रिया है:-

मध्यस्थता धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा छ.ग. राजपत्र असाधारण दिनांक 13 अगस्त 2007 में प्रकाशित मध्यस्थता नियम के अंतर्गत पूर्णतः विधिक प्रक्रिया है।

मध्यस्थता के लिए प्रकरण का प्रेषण/आवेदन

1. प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
2. प्रकरण के पक्षकार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है।

मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना

1. तहसील स्तर पर व्यवहार न्यायालय में।
2. जिला स्तर पर जिला न्यायालय में।
3. उच्च न्यायालय में।

मध्यस्थता समाज में शांति और स्थायित्व का आधार है।

अदालती प्रक्रिया से मुकदमा जीत सकते हैं ।
मध्यस्थता की प्रक्रिया से दिल जीत सकते हैं ।

ना किसी की जीत, ना किसी की हार।
यही है मध्यस्थता का आधार।